न्यायालय, उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी, लातेहार।

बन्दोबस्ती अपील वाद संख्या-85/2022

बासुदेव राम उर्फ बासुदेव मांझी

बनाम्

बालेश्वर मांझी

–: आदेश :–

वर्तमान अपील वाद की प्रक्रिया अपीलार्थी बासुदेव राम उर्फ बासुदेव मांझी पिता–स्व0 जीतू मांझी सा0–नगड़ा थाना–बालूमाथ, जिला–लातेहार द्वारा मौजा नगड़ा के गत सर्वे खाता नं0–143, प्लॉट नं0–440 एवं अन्य कुल रकबा–0.28 एकड़ हाल सर्वे खाता नं0–87, प्लॉट नं0–612, रकबा–0.60 एकड़ भूमि का बालेश्वर मांझी पिता–स्व0 महादेव मांझी, सा0–नगड़ा थाना–बालूमाथ, जिला–लातेहार के बंदोबस्ती वाद संख्या–305/96–97 के विरूद्ध समर्पित आवेदन को सुनवाई के बिन्दु पर स्वीकृत करते हुए दोनों पक्षकारों को नोटिस निर्गत किया गया। न्यायालय के नोटिस प्राप्ति के पश्चात् दोनों पक्षकारों द्वारा अधिवक्ता के माध्यम से अपने–अपने दावे के समर्थन में पक्ष रखा गया।

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि विपक्षी मौजा नगड़ा के पुराना खाता नं0–143, पुराना, प्लॉट नं0–440 एवं अन्य कुल रकबा–0.28 एकड़ अपने नाम से बंदोबस्ती वाद संख्या–305/96–97 में अंचल अधिकारी, बालूमाथ एवं बंदोबस्त पदाधिकारी द्वारा अपीलार्थी के दखल कब्जा का जमीन अपने नाम से करवा लिया है। उक्त जमीन का हाल सर्वे खतियान मौजा–नगड़ा के हाल खाता संख्या–87, नया प्लौट संख्या–612, रकबा–60 डी0 बना है। उक्त भूमि के अलग बगल में अपीलार्थी का जमीन है तथा बगैर स्थल जांच किये बंदोबस्ती पर्चा उत्तरवादी के नाम से निर्गत किया गया है। अपीलार्थी उक्त जमीन को उत्तरवादी के साथ उक्त जमीन को बिक्री केवाला या बदलैन

4/2023

या बंधक नहीं किया है। अपीलार्थी उक्त बंदोबस्ती को रद्द करवाना चाहते है। अपीलार्थी एवं उत्तरवादी के बीच उक्त बंदोबस्ती को लेकर आपस में तनाव पूर्ण स्थिति बना हुआ है। कभी भी खुन खराबा दोनों पक्षों के बीच हो सकता है। उक्त जमीन पर अपीलार्थी को पीढ़ी दर पीढ़ी से दखल कब्जा में चला आ रहा है। उक्त जमीन का बंदोबस्ती को रद्द करते हुए निचली अदालत से अभिलेख बंदोबस्ती वाद संख्या–305/1996–97 का मांग करते हुए स्थल जांचोपरान्त अपीलार्थी के नाम पर उक्त भूमि का बंदोबस्ती करने हेतु अनुरोध किया गया है।

द्वितीय पक्ष द्वारा अधिवक्ता के माध्यम से दाखिल प्रतिउत्तर में कहा गया है कि अपीलार्थी का वाद पूर्णतः कालबाधित है, जो चलने योग्य नहीं है। वाद में प्रश्नागत भूमि गत सर्वे खाता नं0–143, प्लॉट नं0–440 एवं अन्य कुल रकबा–0.28 एकड़ बालेश्वर मांझी पत्नी सोनवा देवी के नाम से बंदोबस्ती से प्राप्त है, जो मेरे दखल कब्जा की जमीन है। उक्त भूमि बंदोबस्तधारी के रैयती भूमि प्लॉट 13 एवं 441 से सटा हुआ है, जिसका मेहनत कर अबाद किया है तथा बंदोबस्ती के आधार पर मांग कायम होने के उपरान्त सरकार को मालगुजारी देकर लगान रसीद प्राप्त करते आ रहे है। उक्त भूमि का हाल सर्वे खाता नं0–200, प्लॉट नं0–609 रकबा–0.23 एकड़ अनाबाद बिहार सरकार के नाम से प्रकाशित है, परन्तु अपीलार्थी अपने अपील आवेदन के कण्डिका 3 में नया खाता नं0–87, नया प्लॉट–612 रकबा–0.60 एकड़ अंकित किया है, जो पूर्णतः गलत एवं बेबुनियाद है। गत सर्वे खाता–143, प्लॉट–440 का कुल रकबा–0.19 एकड़ में से उत्तरवादी बालेश्वर मांझी के नाम से रकबा–0.09 एकड़ बंदोबस्त किया गया है। शेष भूमि रकबा–0.10 एकड़ अपीलार्थी के दखल कब्जा में है, जिसमें अपीलार्थी के सहमती से आंगनबांड़ी केन्द्र भवन का निर्माण किया गया है। इस प्रकार उत्तरवादी के नाम पर बंदोबस्त भूमि पर अपीलार्थी का कोई वैध दावा नहीं है तथा हल्का कर्मचारी के जांच प्रतिवेदन में भी उत्तरवादी का शांतिपूर्ण दखल कब्जा एवं आलू, मटर, हल्दी का फसल लगाया गया है। उत्तरवादी द्वारा अपीलार्थी के वाद को बिना तजबीज समाप्त करने का अनुरोध

4/8/2023

किया गया है।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों को सुना तथा अभिलेख के दस्तावेजों का अवलोकन किया।

अपीलार्थी का दावा है कि विपक्षी के नाम पर बंदोबस्ती वाद संख्या–305/1996–97 एवं Rent का निर्धारण कराया गया भूमि गत सर्वे खाता नं0–143, प्लॉट नं0–440/1 रकबा–0.09 एकड़ एवं प्लॉट नं0–15/1 रकबा–0.19 एकड़ कुल रकबा–0.28 एकड़ भूमि बिहार सरकार की भूमि था, जिसका हाल सर्वे खतियान भी अनाबाद बिहार सरकार के नाम से प्रकाशित है तथा उक्त भूमि पर वे शांतिपूर्वक दखल कब्जा में है। अपील आवेदन कालबाधित होने के संबंध में कोई Authentic Cause प्रस्तुत नहीं किया गया है।

दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुनने और इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों तथा अपीलकर्ता द्वारा मांगी गई राहत की प्रकृति पर विचार करने के बाद इस न्यायालय का विचार है कि अपीलकर्ता का आवेदन कालबाधित है तथा उनके द्वारा न तो भूमि का किसी प्रकार का दस्तावेज और न हीं भूमि पर दखल कब्जा साबित कर पाये। उक्त आलोक में अपीलार्थी के आवेदन को अस्वीकृत किया जाता है। यह आदेश विपक्षी के बन्दोबस्ती की वैद्यता एवं स्वामित्व की पुष्टि नहीं करता है। चूंकि अपीलकर्ता के पास दावे के समर्थन में कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं होने एवं अपील आवेदन कालबाधित होने के कारण उनके आवेदन को अस्वीकृत किया गया है।

आदेश की प्रति उभय पक्ष को उपलब्ध करायें। अभिलेख को जिला अभिलेखागार में जमा करें।

लिखाया एवं शुद्ध किया।

Digitally signed by Garima Singh
Date: 2024.04.16 11:30:54 +05:30
Location: 192.168.252.92

उपायुक्त,
लातेहार।

उपायुक्त,
लातेहार।